बिहार सरकार

कृषि विभाग

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), अरवल

कृषि उन्नत्ति योजना अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पद का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	पद का नाम	नियत मानदेय (रू0 में)	पद की सं0	उम्र	अनिवार्य योग्यता
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर (आत्मा योजना)	आत्मा मार्गदर्शिका 2025 के आलोक में राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01 (एक)	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 ज्ञापांक 294 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप	स्नातक की डिग्री के साथ कम्प्यूटर संचालन का पूर्ण ज्ञान। कम्प्यूटर में 01 (एक) वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य।

नियोजन हेतु सामान्य सूचना–

- एकल पद होने के कारण पद अनारक्षित है।
- **चयन प्रक्रिया–** आवश्यकतानुसार शैक्षणिक योग्यता, दक्षता परीक्षा, कार्यानुभव के आधर पर चयन किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया का मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किया जाएगा।
- चयन में बिहार राज्य के निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
- उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- अन्य बातें समान रहने पर अधिकत्तम आयु के अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाण–पत्रों/अंकपत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

- **संविदा पर नियोजन–** संविदा पर नियोजन, योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिए किया जाएगा परंतु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यो की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवाविमुक्त किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
- किसी भी कर्मी के उपर उनके पूर्व के संस्थानों/विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप/विभागीय कार्रवाई/न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गई हो से संबंध्ति शपथ–पत्र

(पब्लिक नोटरी से शपथ कराकर) योगदान के समय कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

- नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय/नियत वेतन देय होगा।
- एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्ते सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003, दिनांक 22.01.2021 के अनुरूप मान्य होगा।

नियोजन हेतु समय–सीमा का निर्धरण

- आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2026 से 22.06.2026 को संध्या 05 बजे तक ही प्राप्त किया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- नियोजन हेतु काउंसिलिंग एवं दक्षता परीक्षा की तिथिः 01–03 जुलाई, 2026
- औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन की तिथिः 08 जुलाई, 2026
- आपत्तियों को प्राप्त करने की तिथि : 10–11 जुलाई, 2026
- आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन : 16 जुलाई, 2026

आवेदन भेजने का पता– परियोजना निदेशक, आत्मा, संयुक्त कृषि भवन, द्वितीय तल, अरवल (बिहार), पिन–804401

विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रपत्र https://arwal.nic.in एवं https://atmaarwal.com पर देखा जा सकता है।

04.06.26

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–
परियोजना निदेशक, आत्मा, अरवल